जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 10.09.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02** वारण्टी नाम पता 1- संतोषी पुत्र जसई भटवल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर 02-महेन्द्र कुमार पुत्र दुबरन प्रसाद निवासी दुधरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 नुरुद्दीन खाँ, का0 सतवन्त सिंह का0 अजीत कुशवाहा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनों से 92,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनों से 92,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 10.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 0634/2024 धारा 137(2)/87/64(2)m बीएनएस व 5(L)/6 पास्को एक्ट 3(2)(5) व 3(2)5A एससी / एसटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहित पाल पुत्र कमला पाल निवासी बेल्डुहा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 10.09.2024 को मैनसिर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 14.08.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 अनिल कुमार यादव, का0 मनीष प्रभात ।